

वन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 जनवरी, 1998

संख्या ला० का० नि० 10/संवि./अनु. 309/98.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, हरियाणा वन अधीनस्थ सेवाएं (ग्रुप घ) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

## भाग I—सामान्य

1 (1) ये नियम हरियाणा वन विभाग (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1998 कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) “अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक” से अभिप्राय है, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ;

(ख) “मुख्य वन संरक्षक” से अभिप्राय है, वन परिमण्डल का कार्यकारी अधिकारी ;

(ग) “सीधी भर्ती” से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(घ) “वन मण्डल अधिकारी” से अभिप्राय है, वन मण्डल का कार्यकारी अधिकारी ;

(ङ) “रोजगार कार्यालय” से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार में स्थित रोजगार कार्यालय ;

(च) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(छ) संस्था से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा, स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(ज) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

- (i) भारत में विधि द्वारा निर्गमित कोई विश्वविद्यालय ; या
- (ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र ; डिप्लोमा या प्रमाण पत्र की दशा में पंजाब, सिंध या ढाका विश्वविद्यालय या
- (iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;

(झ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य वन अधीनस्थ (शुप घ) सेवा ।

#### भाग II—सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा  
उनका स्वरूप ।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट में बताए गये पद होंगे :  
परन्तु इन नियमों की कोई भी बातए से पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या  
विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के  
सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में नियुक्त  
उम्मीदवारों की  
राष्ट्रिकता,  
अधिवास तथा  
चरित्र ।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा,  
जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,—

- (क) भारत का नागरिक ; या
- (ख) नेपाल की प्रजा ; या
- (ग) भूटान की प्रजा ; या
- (घ) लिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में  
स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या
- (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया,  
यूगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और  
जंजीबार), जाम्बिया, मलावी जायरे और इमोथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी  
देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ;

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा  
जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाणपत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो उसके ऐसा  
प्रमाण देने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा या साक्षात्कार के लिये  
प्रविष्ट किया जा सकता है कि उसने प्रमाण पत्र को लिये आवेदन किया है तथा वह सक्षम  
प्राधिकारी द्वारा उसको दिए जाने वाले आवश्यक प्रमाणपत्र के अर्जन में हते हुए अनतिम  
रूप से नियुक्त किया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं  
किया जायेगा जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय,  
विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान औपचारिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र और  
तो ऐसे अन्य निम्नेदार व्यक्तियों, से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत  
जीवन में उसके भली भाँति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय,  
या विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करे ।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा,  
जो रोजगार कार्यालय को उपयुक्त उम्मीदवार के नाम की सही सूची की तिथि को  
16 वर्ष से कम अथवा 35 वर्ष से अधिक आयु का हो :

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियाँ वन मण्डल अधिकाारी द्वारा की जायेंगी ।

नियुक्ति  
प्राधिकारी ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब  
तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में उल्लिखित  
और सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में उक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित  
योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव संबंधी योग्यताओं में भर्ती  
प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत की सीमा तक होल दी जा सकती, यदि अनुसूचित  
जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनमें लिये  
प्रारंभिक रिकार्डों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की प्रार्थना  
संख्या उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे ।

8. कोई भी व्यक्ति,—

अयोग्यताएं

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह  
की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होने हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह  
कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार को संतुष्ट हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर  
लागू स्वीय विधि के अर्थात् ऐसा विवाह अनुमति है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं,  
तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे दी सकती है ।

भर्ती का ढंग ।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी,---

(क) दफ्तरी की दशा में,---

(i) जमादार सेवादारों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) जमादार सेवादार की दशा में,---

(i) सेवादारों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) सेवादार की दशा में,---

(i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; और

(ii) पचास प्रतिशत, चौकीदारों और मालियों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(घ) प्रधान माली की दशा में,---

(i) मालियों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ङ) माली की दशा में,---

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(च) चौकीदार की दशा में,---

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(छ) ट्रैक्टर क्लीनर की दशा में,---

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ज) मेहनर की दशा में,---

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(झ) अर्बली की दशा में,---

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ड) बुल्कवाचर की दशा में,---

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(2) सभी पदोन्नतियों जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर ही की जायेंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिये कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

10 (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा पर रहेगा :

परन्तु,---

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परीक्षा की अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है ; और

- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परीक्षा पर, व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्ति न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हक़ प्राप्त नहीं होगा।
- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह —
- (क) यदि ऐसा व्यक्ति, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति, सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—
- (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
- (ii) उसके सम्बन्ध में किसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें अनुज्ञात करें।
- (3) किसी व्यक्ति की परीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—
- (क) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक रहा हो तो,—
- (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
- (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
- (iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परीक्षा-अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या
- (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—
- (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; या

- (ii) उसकी परीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा-काल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहाँ सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहाँ ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित योग्यताक्रम परितर्कित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित अनुसार निश्चित की जायेगी :—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में से सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे ; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अतिरिक्त ऐसे सदस्यों को दिया जायेगा, जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर पद पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरिद्वार राज्य में सेवा करने का आदेश प्राप्त करने के बाद किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिये जिम्मेदार होगा।



(2) सेवा को किसी सदस्य को निम्नलिखित के अधीन भी सेवा के लिये प्रतिनियुक्त किया जा सकता है :—

- (i) कोई कम्पनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास हो, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण ;
- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; या
- (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा को किसी भी सदस्य को उनकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा (iii) निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामलों ।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य ऐसे सभी मामलों के सम्बन्ध में, जिनका निषेध निषेधों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उन समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाया या बनाये गये हों अथवा इससे बाद अपनाये या बनाये जायें ।

अनुशासन, शास्त्रियों तथा अपीलें ।

14. (1) अनुशासन, शास्त्रियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य-समय पर सुधा-संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (वण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्त्रियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती है, ऐसी शारितयां लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि अथवा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में निर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (वण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उपनियम (I) के खण्ड (ग) और (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में निर्दिष्ट है ।

टीका लगवाना ।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, तो टीका लगवाएगा या पुनः टीका लगवाएगा ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी ।

17. जहाँ सरकार को राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में डील देना डील देने की शक्ति आवश्यक या उचित हो, वहाँ वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या वर्गों के बारे में ऐसा कर सकती है ।

18. इन नियमों में दी गई कोई भी धात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या वर्गों को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार से किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

19. इन नियमों में किसी धात के होते हुये भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह विशेष उपबन्ध निरूपित आदेश में विशेष निश्चयन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है ।

20. पंजाब राज्य (श्रेणी IV) सेवा नियम, 1963, जो इन नियमों के आरम्भ निरसन तथा वधार्ति से तुरन्त पहले लागू हैं, इसके द्वारा निरस्त किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरस्त नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी ।

## परिशिष्ट क

(देखिये नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान	
		स्थाई	अस्थाई	कुल जोड़		
1	2	3	4	5	6	
1	दफतरी	1	---	1	800-15-1010-द.रो.-20-1150 रुपये	
2	जमादार सेवाद्वार	4	2	6	800-15-1010-द.रो.-20-1150 रुपये	
3	सेवाद्वार	109	116	225	750-12-870-द.रो.-14-940 रुपये	
4	हैड माली	2	---	2	750-12-870-द.रो.-14-940 रुपये	
5	माली	95	178	273	750-12-870-द.रो.-14-940 रुपये	
6	चौकीदार	69	39	108	750-12-870-द.रो.-14-940 रुपये	
7	ट्रेक्टर क्लीनर	5	---	5	750-12-870-द.रो.-14-940 रुपये	
8	मेहतर	2	---	2	750-12-870-द.रो.-14-940 रुपये	
9	अर्दली	---	1	1	750-12-870-द.रो.-14-940 रुपये	
10	बुलक वाचर	6	---	6	750-12-870-द.रो.-14-940 रुपये	

## परिशिष्ट ख

(देखिये नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सोचो भर्ती को लिये शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव, यदि कोई हो	सोचो भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	दफतरी	---	जमादार सेवाद्वार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ✓
2	जमादार सेवाद्वार	---	सेवाद्वार के रूप में दस वर्ष का अनुभव ✓
3	सेवाद्वार	(i) आठवी पास ; (ii) आठवी तक हिन्दी का ज्ञान ;	चौकीदार या माली के रूप में पांच वर्ष का अनुभव
4	प्रधान माली		माली के रूप में दस वर्ष का अनुभव
5	माली	(i) आठवी पास ; (ii) आठवी तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) नर्सरी में माली के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ;	माली के रूप में तीन वर्ष का अनुभव
6	चौकीदार	(i) प्राईमरी पास ; (ii) हिन्दी का ज्ञान ;	(i) प्राईमरी पास ; (ii) हिन्दी का ज्ञान ;
7	ट्रेक्टर क्लीनर	(i) मैट्रिक पास ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) उसके पास ट्रेक्टर चलाने का लाईसेंस होना चाहिए ; (iv) ट्रेक्टर वर्कशॉप में तीन वर्ष का अनुभव ;	(i) मैट्रिक पास ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) उसके पास ट्रेक्टर चलाने का लाईसेंस होना चाहिए ; (iv) ट्रेक्टर वर्कशॉप में तीन वर्ष का अनुभव
8	मेहतर	(i) साक्षर ; (ii) हिन्दी का ज्ञान ;	(i) साक्षर (ii) हिन्दी का ज्ञान
9	अर्दली	(i) साक्षर ; (ii) हिन्दी का ज्ञान ;	(i) साक्षर (ii) हिन्दी का ज्ञान
10	बुलक वाचर	(i) साक्षर ; (ii) हिन्दी का ज्ञान ;	(i) साक्षर ; (ii) हिन्दी का ज्ञान

24

परिशिष्ट ग

[देखिये नियम 14(I)]

क्रम	परनाम	निरुक्ति	आस्ति का स्वरूप	आस्ति अपील द्वितीय तथा लगाने के प्राधिकारी अन्तिम अपील लिये सशक्त प्राधिकारी, प्राधिकारी यदि कोई हो,
संख्या				

1	2	3	4	5	6	7
1	वक्तरी	वन मण्डल	1. छोटी शास्तियाँ:— अधिकारी (i) पैकिंग फाईल (आचरण पत्रों) पर प्रति रखते हुये चेतावनी ;	वन मुख्य वन अपर प्रधान मण्डल संरक्षक/ मुख्य वन अधिकारी वन संरक्षक		
2	अभावार मेवादार		(ii) परिनिन्दा ; (iii) पदोन्नति रोकना ;			
3	मेवादार		(iv) आदेशों की उल्लंघना या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा किसी ऐसी कम्पनी, संगम या व्यक्ति निन्दाय, चाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है अथवा संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई किसी घन सम्बन्धी हानि की पूरी या उनके भाग की वेतन से वसुली ;			
4	प्रधान माली					
5	माली					
6	चीकीदार					
7	ट्रेक्टर क्लर्क					
8	मेहतर					
9	अदली		(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियाँ रोकना ;			
10	बुल्कवाचर					

1 2 3 4 5 6 7

2. बड़ी शास्तियाँ:—

- (vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियाँ रोकना ;
- (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित की कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन-वृद्धियाँ अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन-वृद्धियाँ स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;
- (viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति, जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिये रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड या पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा ;
- (ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;
- (x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी अयोग्यता नहीं होगी ;
- (xi) सेवा से पदच्युति, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यतः अयोग्यता होगी ।

## (c) In the case of Peon,—

- (i) 50 per cent by direct recruitment ; and
- (ii) 50 per cent by promotion from amongst Chowkidars and Malies ; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

## (d) In the case of Head Mali,—

- (i) by promotion from amongst the Malies ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

## (e) In the case of Mali,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

## (f) In the case of Chowkidar,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

## (g) In the case of Tractor Cleaner,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

## (h) In the case of Sweeper,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

## (i) In the case of Orderly,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

## (j) In the case of Bulk Watcher,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions, unless other wise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

10. (1) Persons appointed to any posts in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise : Probation.

Provided that :—

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this Rule ; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, shall be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may—

- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services ; and
- (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—
  - (i) revert him to his former post ; or
  - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.



313(82)

HARYANA GOVT GAZ., (EXTRA.), JAN. 23, 1998  
(MAGH. 3, 1919 SAKA)

परिशिष्ट घ

[दिखिये नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश परित सम्बन्धित अधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
1	दफतरी	(i) पेशान को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे	वन सप्लाइ अधिकारी	मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
2	जमादार	अनुज्ञेय सामान्य अतिरिक्त			
3	सेवादार	पेशान की राशी में कमी करना या रोकना ;			
4	प्रधान माली	(ii) उसकी अधिवर्षिता के लिये नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।			
5	माली				
6	चौकीदार				
7	ट्रेक्टर क्लीनर				
8	सेहतर				
9	अर्देली				
10	बुल्कवाचर				

एच०सी० दिसोरिया,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
वन विभाग ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT  
FOREST DEPARTMENT  
Notification  
The 23rd January, 1998

No. G. S. R. 10/Const./Art-309/98.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Forest Subordinate (Group D) Service, namely :—

PART I-GENERAL

- (1) These rules may be called the Haryana Forest Department (Group D) Service Rules, 1998. Short title and commencement.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in a Official Gazette.

- In these rules, unless the context otherwise requires,— Definitions.

- "Additional Principal Chief Conservator of Forests" means Additional Principal Chief Conservator of Forests ;
- "Chief Conservator of Forests" means the Officer incharge of a forest circle in Haryana ;
- "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government ;
- "Divisional Forest Officer" means the officer Incharge of the Forest Division ;
- "Employment Exchange" means the Employment Exchange situated in the State of Haryana ;
- "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;
- "institution" means,—
  - any institution established by law in force in the State of Haryana ; or
  - any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules ;
- "recognised university" means,—
  - any University incorporated by law in India ; or
  - any other university which is declared by the Government to be a recognized University for the purpose of these rules ;
- "Service" means the Haryana Forest Subordinate (Group-D) Service.

35

85

PART-II RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of post.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service.

Age.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall effect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

4. (1) No person shall be appointed to the Service, unless he is,—

- (a) a citizen of India ; or
- (b) a subject of Nepal ; or
- (c) a subject of Bhutan ; or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Srilanka, East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the recruiting authority on his furnishing proof that he has applied for the certificate and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the competent authority.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the University, College, School or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his University, College, School or institution.

5. No person shall be appointed to the post by direct recruitment who is less than sixteen years or more than thirty five years of age, on the day requisition to sponsor the name of suitable candidate is sent to the Employment Exchange.

6. Appointments to the posts in the Service shall be made by the Divisional Forest Officer.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment :

Provided that in the case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen and Physically Handicapped Categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

8. No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person ;

shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. (1) Recruitment to Service shall be made,—

(a) In the case of Daftri,—

- (i) by promotion from amongst Jamadar Peons ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(b) In the case of Jamadar Peon,—

- (i) by promotion from amongst Peons ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the Service of any State Government or the Government of India ;

Appointing authority.

Qualifications.

Disqualifications

Method of recruitment.

(c) In the case of Peon,—

- (i) 50 per cent by direct recruitment ; and
- (ii) 50 per cent by promotion from amongst Chowkidars and Malies ; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(d) In the case of Head Mali,—

- (i) by promotion from amongst the Malies ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(e) In the case of Mali,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(f) In the case of Chowkidar,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(g) In the case of Tractor Cleaner,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(h) In the case of Sweeper,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(i) In the case of Orderly,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(j) In the case of Bulk Watcher,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions, unless other wise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

10. (1) Persons appointed to any posts in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise : Probation.

Provided that :—

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this Rule ; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, shall be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may—

- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services ; and
- (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—
  - (i) revert him to his former post ; or
  - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.



(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—

- (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—
  - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or
  - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or
  - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or
- (b) if his work or conduct has, in the opinion, not been satisfactory,—
  - (i) dispense with his service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such manner, as the terms and conditions of previous appointment permit ; or
  - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation, including Extension, if any, shall not extend three years.

Seniority.

11. Seniority, *inter se* of members of the Service shall be determined by the length of the continuous Service on any post in Service :

Provided that where there are different cadres in the service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the appointing authority, shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;
- (c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of

such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and

- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their Service in the appointments, and if the length of such Service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

Liability to serve.

(2) A member of Service may also be deputed for service under,—

- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local authority within the State of Haryana ;
- (ii) the Central Government or a Company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or
- (iii) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body ;

Provided that no member of the service shall be deputed to the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clauses (ii) and (iii) except with his consent.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by State Legislature.

Pay, leave, Pension and other Matters.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time :

Discipline, Penalties and appeals.

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.



(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) or rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and the appellate authority shall be as specified in Appendix D to these Rules.

**Vaccination**

15. Every member of the Service, shall get himself vaccinated and revaccinated, as and when the Government so directs by a special or general order.

**Oath of allegiance.**

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India, as by law established.

**Powers of relaxation.**

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**Reservations.**

18. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time :

Provided that the total percentage of reservation so made shall not exceed fifty per cent at any time.

**Special provisions.**

19. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions, in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

**Repeal and Savings.**

20. The Punjab State (Class IV) Service Rules, 1963, which is in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the said Rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these Rules.

**APPENDIX A**

(See rule 3)

Sr. No.	Designation of posts	Number of posts		Scale of Pay		
1	2	3	4	5	6	
						Rs..
1	Dafti	1	...	1	800—15—1010—FB—20—1150	
2	Jamadar Peon	4	2	6	800—15—1010—EB—20—1150	
3	Peon	109	116	225	750—12—870—EB—14—940	
4	Head Mali	2	...	2	750—12—870—EB—14—940	
5	Mali	95	178	273	750—12—870—EB—14—940	
6	Chowkidar	69	39	108	750—12—870—EB—14—940	
7	Tractor Cleaner	5	...	5	750—12—870—EB—14—940	
8	Sweeper	2	...	2	750—12—870—EB—14—940	
9	Orderly	...	1	1	750—12—870—EB—14—940	
10	Bulk Watcher	6	...	6	750—12—870—EB—14—940	

1	2	3	4	5	6	7
			scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;			
			(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;			
			(ix) Compulsory retirement;			
			(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;			
			(xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.			

## APPENDIX D

[See rule 14(2)]

Sr No	Designation of Posts	Nature of Penalty	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6
1	Daftri	(i) reducing or withholding the amount of ordinary/additional pension admissible under the rules governing pension;	Divisional Forest Officer	Chief Conservator of Forests/Conservator of Forests	Additional Principal Chief Conservator of Forests.
2	Jamadar Peon				
3	Peon				
4	Head Mali				
5	Mali	(ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.			
6	Chowkidar				
7	Tractor Cleaner				
8	Sweeper				
9	Orderly				
10	Bulk Watcher				

H C. DISODIA,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,  
Forests Department.

- (ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण पत्र की दशा में, पंजाब, सिंध या दारा विश्वविद्यालय; या
- (iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;
- (ज) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य वन विभाग (ग्रुप ग) विविध अनुभाग सेवा।

### भाग II—सेवा में भर्ती

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताये गये पद होंगे:

पदों की संख्या और उनका स्वरूप।

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थायी रूप से बनाने या सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रियता, अधिवास तथा वरिष्ठ।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,--

- (क) भारत का नागरिक; या
- (ख) नेपाल की प्रजा; या
- (ग) भूटान की प्रजा; या
- (घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो; या
- (ङ) भारतीय भूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जाम्बिया, जाम्बिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो;

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ), या (ङ) से सम्बन्धित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो, आयोग द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भाँति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे।

5. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो आयोग को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को अथवा उससे पूर्व 17 वर्ष की आयु से कम अथवा 35 वर्ष की आयु से अधिक का हो।

6. सेवा में पदों पर नियुक्ति प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा की जायेगी।

नियुक्ति प्राधिकारी।

योग्यताएं।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट 'ख' के खाना 3 में उल्लिखित और सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो:

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अहताश्रों में नियुक्ति अधिकारी के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से अक्षम प्रवर्गों में, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव देने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे।

8. कोई भी व्यक्ति,--

योग्यताएं।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि सरकार की सम्मन्ध में संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से मुक्त कर दे सकता है।

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) or rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and the appellate authority shall be as specified in Appendix D to these Rules.

**Vaccination** 15. Every member of the Service, shall get himself vaccinated and revaccinated, as and when the Government so directs by a special or general order.

**Oath of allegiance.** 16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India, as by law established.

**Powers of relaxation.** 17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**Reservations.** 18. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time :

Provided that the total percentage of reservation so made shall not exceed fifty per cent at any time.

**Special provisions.** 19. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions, in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

**Repeal and Savings.** 20. The Punjab State (Class IV) Service Rules, 1963, which is in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the said Rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these Rules.

APPENDIX A

(See rule 3)

Sr. No.	Designation of posts	Number of posts		Scale of Pay		
1	2	3	4	5	6	
						Rs..
1	Daftri	1	...	1	800—15—1010—EB—20—1150	
2	Jamadar Peon	4	2	6	800—15—1010—EB—20—1150	
3	Peon	109	116	225	750—12—870—EB—14—940	
4	Head Mali	2	...	2	750—12—870—EB—14—940	
5	Mali	95	178	273	750—12—870—EB—14—940	
6	Chowkidar	69	39	108	750—12—870—EB—14—940	
7	Tractor Cleaner	5	...	5	750—12—870—EB—14—940	
8	Sweeper,	2	...	2	750—12—870—EB—14—940	
9	Orderly	...	1	1	750—12—870—EB—14—940	
10	Bulk Watcher	6	...	6	750—12—870—EB—14—940	



## APPENDIX B

(See rule 7)

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment.
1	2	3	4
1	Daftri	—	5 years experience as Jamadar Peon.
2	Jamadar Peon	—	10 years experience as Peon.
3	Peon	(i) Middle Pass; (ii) Knowledge of Hindi up to Middle.	5 years experience as Chowkidar or Mali.
4	Head Mali	—	10 years experience as Mali.
5	Mali	(i) Middle Pass; (ii) Knowledge of Hindi up to Middle; (iii) Three years experience as Mali in the nursery	3 years experience as Mali.
6	Chowkidar	(i) Primary Pass; (ii) Knowledge of Hindi.	(i) Primary Pass; (ii) Knowledge of Hindi.
7	Tractor Cleaner	(i) Matriculation; (ii) Knowledge of Hindi up to Matric; (iii) Must possess tractor driving licence; (iv) Three years experience in tractor workshop.	(i) Matriculation; (ii) Knowledge of Hindi up to Matric; (iii) Must possess tractor driving licence; (iv) Three years experience in tractor workshop.
8	Sweeper	(i) Literate; (ii) Knowledge of Hindi.	(i) Literate; (ii) Knowledge of Hindi.
9	Orderly	(i) Literate; (ii) Knowledge of Hindi.	(i) Literate; (ii) Knowledge of Hindi.
10	Bulk Watcher	(i) Literate; (ii) Knowledge of Hindi.	(i) Literate; (ii) Knowledge of Hindi.

## APPENDIX C

[See rule 14 (1)]

Sr. No.	Designation of Posts	Appointing Authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final appellate authority if any
1	2	3	4	5	6	7
1	Daftri	Divisional Forest Officer	Minor penalties : (i) Warning with a copy in the personal file (Character roll); (ii) Censure; (iii) Withholding of promotion; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government, or to a company and association or a body of individual, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State; (v) withholding of increments of pay without cumulative effect. Major penalties : (vi) withholding of increments of pay without cumulative effect; (vii) reduction to a lower stage in the time	Divisional Forest Officer	Chief Conservator of Forests	Principal Chief Conservator of Forests
2	Jamadar Peon					
3	Peon					
4	Head Mali					
5	Mali					
6	Chowkidar					
7	Tractor Cleaner					
8	Sweeper					
9	Orderly					
10	Bulk Watcher					

1	2	3	4	5	6	7
			scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;			
			(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;			
			(ix) Compulsory retirement;			
			(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;			
			(xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.			

## APPENDIX D

[See rule 14(2)]

Sr No	Designation of Posts	Nature of Penalty	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6
1	Daftri	(i) reducing or withholding the amount of ordinary/additional pension admissible under the rules governing pension;	Divisional Forest Officer	Chief Conservator of Forests/Conservator of Forests	Additional Principal Chief Conservator of Forests.
2	Jamadar Peon				
3	Peon				
4	Head Mali				
5	Mali	(ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.			
6	Chowkidar				
7	Tractor Cleaner				
8	Sweeper				
9	Orderly				
10	Bulk Watcher				

H C. DISODIA,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,  
Forests Department.